

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 536] No. 536] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2016/श्रावण 11, 1938

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2016/SRAVANA 11, 1938

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2016

सा.का.नि.757(अ).—केंद्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री, अधिनियम 1940 (1940 का 23) की धारा 33छ की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तारीख 18 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 1022 (अ) के अधिक्रमण में डॉ. दिनेश चन्द कटोच, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय को उस प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिनके अधीन तारीख 25.07.2016 की अधिसूचना सा.का.नि. 719 (अ) द्वारा इस विषयक उप-धारा (1) के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षक कार्य करेंगे।

[फा. सं. ए.11012/01/2014-डीसीसी (आयुष)]

ए. के. गनेरीवाला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2016

G.S.R. 757(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 33G of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and in supersession of notification S.O.1022(E) dated 18th April, 2013, the Central Government hereby specifies Dr. Dinesh Chand Katoch, Adviser(Ayurveda) in the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy, as the authority to whom the Inspectors appointed under sub-section (1) thereof vide notification GSR. No.719 (E) dated 25-07-2016 shall be subordinate.

[F. No. A.11012/01/2014-DCC (AYUSH)]

A. K. GANERIWALA, Jt. Sec